न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः– श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 31/2018

रामेश्वरलाल पुत्र बख्ताराम जाति कुम्हार निवासी खारी चारणान तहसील कोलायत जिला बीकानेर

अपीलान्ट

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत, जिला बीकानेर

रेस्पोडेन्ट

::अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1– अपीलान्ट की ओर से – श्री रामचन्द्रसिंह भाटी अधिवक्ता

2– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक **28.06.2019**

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार कोलायत के आदेश दिनांक **27.02.2018 एवं दिनांक 30.04.2018** से व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ इन्साफ, कानून एवं रूह से दाद मिसल के व कानून एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः आदेश तहसीलदार राजस्व कोलायत दिनांक 27.02.2018 व आदेश दिनांक 30.04.2018 निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेण्ट स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड मंगवाया जाकर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस है कि तहसील कोलायत में ग्राम बुर्ज चौबदारान में खसरा नम्बर 415 में 5.500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 405 में 0.6500 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 406 में 1.4000 हैक्टयर कुल 7.5500 हैक्टयर भूमि अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि है जिसका राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 405 व 406 की भूमि रिकार्ड में अपीलान्ट के नाम दर्ज है। जबकि मौके पर कब्रिस्थान बना हुआ है तथा चार दिवारी बनी हुई। अपीलान्ट का उक्त रिकार्डेड भूमि पर कब्जा ना होकर खसरा नम्बर 417 में 1.65 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 410 में 0.40 हैटयर भूमि पर कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। अपीलान्ट की रिकार्डेड भूमि को कब्रिस्तान दर्ज करने एवं अपीलान्ट के कब्जा काश्त की भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज करने हेतु एक घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है, जो जवाब की स्टेज पर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

जैरकार है। दौराने वाद तहसीलदार राजस्व कोलायत ने दिनांक 27.02.2018 को अपीलान्ट को ग्राम बुर्ज चौबदारान के खसरा नम्बर 410 तादादी 1.15 हैक्टयर भूमि का अतिक्रमी मानकर अतिक्रमी घोषित कर आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है, जो सरासर कानून एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 30.4.2018 को अपीलान्ट की आराजी मुतनाजा पर काश्त की हुई फसल को निलाम करने के तहसीलदार राजस्व कोलायत द्वारा आदेश पारित किये है। अपीलान्ट ने उपरोक्त राजकीय भूमि जो मौका पर बंजड व नाकाबिल काश्त भूमि थी, जिसे अपीलान्ट ने अपनी तमाम जमा पूंजी लागा कर अथक मेहनत कर सुधारा तथा काबिल काश्त बनाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व दिनांक 21.2.18 को नोटिस दिया जिस पर अपीलान्ट उस दिने उपस्थित होकर जवाव प्रस्तुत किया, जो रिकार्ड पर ही नहीं लिया गया। पत्रावली पर हस्ताक्षर करवा लिये। आगामी तारीख पेशी नहीं दी । दिनांक 27.2.2018 को बिना अपीलान्ट की उपस्थित के ही आदेश पारित कर अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश पारित किये है। आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपना लिगल माईण्ड इस्तेमाल नहीं किया है। दिनांक 30.4.18 को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को किसी प्रकार कोई नाटिस नहीं दिया और फसल निलामी के आदेश प्रदान कर दिये । दिनांक 4.5.2018 को हल्का पटवारी आराजी मुतनाजा स्थित अपीलान्ट की ढाणी पर आये वा अपलान्ट की फसल जब्त करने का कथन किया तो अपीलान्ट को आदेश की जानकारी हुई। उसी दिन अपीलान्ट कोलायत आकर नकल प्राप्त की तथा अपील अन्दर मियाद पेश की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश खिलाफ इन्साफ, कानून एवं रूहसे दाद मिसल के व कानून एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर आदेश तहसीलदार राजस्व कोलायत दिनांक 27.02.2018 एवं आदेश दिनांक 30.04.2018 निरस्त फरमाया जावे।

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का खारी चारणान द्वारा इस आश्य की रिपोर्ट पेश की गई कि अपीलान्ट रामेश्वरलाल पुत्र बख्ताराम जाति कुम्हार निवासी खारी चारणान ने ग्राम बुर्ज चौपदारान के खसरा नम्बर 410 में तादादी 1.15 हैक्टयर राजकीय भूमि पर नाजायज चना काश्त कर अतिक्रमण किया है। इस पर गैर सायल को नोटिस भेजा गया। जिसका वैधानिक सबूत पेश नहीं होने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित कर 50 गुणा तावान की शास्ति से आरोपित किया गया व भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर हल्का पटवारी एवं भू.अ.नि द्वारा नियमानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर बाद सुनवाई न्यायालय तहसीलदार कोलायत द्वारा निर्णय किया जाकर अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश प्रदान कर कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुवे विलम्ब के संबंध में नरम रूख अपनाते हुवे विलम्ब को क्षम्य् किया जाना उचित समझते हुवे धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुवे विलम्ब को क्षम्य् किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का ने गैर सायल को अतिक्रमी मानते हुवे रिपोर्ट पेश की है। जिसके अनुसार अपीलान्ट को ग्राम बुर्ज चौपदारान के खसरा नम्बर 410 की 1.15 हैक्टयर भूमि पर जो कि सिवाय चक है, पर चना की फसल की काश्त कर अतिक्रमण किया है। अपने जवाब में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपखण्ड अधिकारी कोलायत के यहां उक्त भूमि का दुरूस्ती संबंधी घोषणात्मक वाद लम्बित होना बताया है। जिसमें ख्सरा नम्बर 410 की .40 हैक्टयर भूमि पर अपना कब्जा काश्त होना अंकित किया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने दावे की अप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जो भी .40 हैक्टयर के लिये है जबकि गैर सायल द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक खसरा नम्बर 410 की 1.15 हैक्टयर भूमि पर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद में कोई स्थगन आदेश भी नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(ए.एच. गौरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner